राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8330/2007

तुलसीराम उर्फ तुलस्या व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक-12.12.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एस के जैन, अधिवक्ता- अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से ।

श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

--

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि इस प्रक्रम पर वे इस तृतीय जमानत के प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देते हैं।

अत: अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तृतीय जमानत का प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

लेकिन न्याय हित में अन्वीक्षा न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई कर यथा सम्भव इसका शीघ्र निस्तारण करने का सार्थक प्रयास करें।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)